>

Title: Regarding revision of EPF Scheme.

**श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव) :** अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

महोदय, सामाजिक सुरक्षा-सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ईपीएस-95 पेंशन लाभार्थियों ने अपने परिश्रम से देश के विभिन्न संगठनों को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान दिया है । देश भर में 65 लाख से ज्यादा ईपीएस-95 पेंशनरों के लिए वर्तमान में दी जाने वाली पेंशन की राशि बहुत ही कम है, जिससे उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और वे बहुत सी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जा रहे हैं ।

वर्ष 2018 में श्रम संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट आई ईपीएफओ की संबंधित उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि ईपीएस-95 पेंशन योजना के तहत राशि बढ़ाई जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त वर्ष 2013 में कोशियारी समिति ने भी इस राशि को बढ़ाने का अनुमोदन किया है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि ईपीएस-95 पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशनभोगियों की मांगों पर कार्यवाही करे और इसके लिए केंद्र सरकार ईपीएस-95 पेंशन योजना में आवश्यक परिवर्तन करके ईपीएस-95 पेंशनरों को और उनके परिवारों को कम से कम दस हजार रुपये प्रतिमाह की मूल पेंशन दी जानी चाहिए । इसके साथ ही महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए, जिससे इन पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिले और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े ।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री मनोज तिवारी जी –उपस्थित नहीं ।